न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री सर्वेश्वर निम्बार्क ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 95/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. दीपाराम पुत्र शंभुराम, उम्र वयस्क 2. जोराराम पुत्र शंभुराम, उम्र वयस्क जातियान जाट, निवासीयान भानासर धतरवालों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।		1. दलाराम पुत्र जोगाराम, उम्र वयस्क 2. केशी पत्नि जोगाराम, उम्र वयस्क 3. पुनमी पत्नि जोगाराम, उम्र वयस्क 4. जसाराम पुत्र जोगाराम, उम्र वयस्क जातियान जाट, निवासीयान भानासर धतरवालों की ढाणी तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 5. पेम्पो पुत्री खरताराम, उम्र वयस्क 6. चतरूदेवी पत्नि खरताराम, उम्र वयस्क 7. शेम्भूराम पुत्र भानाराम, उम्र वयस्क 8. खेमाराम पुत्र भानाराम, उम्र वयस्क 9. खेताराम पुत्र भानाराम, उम्र वयस्क 10. हरखू पत्नि भानाराम, उम्र वयस्क 11. भोमाराम पुत्र खरताराम, उम्र वयस्क 12. थानाराम पुत्र भानाराम, उम्र वयस्क 13. रावताराम पुत्र खरताराम, उम्र वयस्क 14. जसराज पुत्र भानाराम उम्र वयस्क जातियान जाट, हाल निवासीयान निम्बलकोट तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर। 15. तहसीलदार महोदय, सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 15 की ओर से उपस्थित।
3. श्री जोगराज पोटलिया वकील विप्रार्थी संख्या 01 से 14 की तरफ से उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश

दिनांक– 05.02.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 424/225 क्षेत्रफल 16.0182 ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 14 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 428/225 रकबा 16.1800 हैक्टयर ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी पटवार मण्डल कादानाडी भूमि आया हुआ है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 14 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 428/225 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि जो अत्याधिक आवश्यकता का एकमात्र विकल्प होने से तथा पूर्ववत पक्षकारान के सामलाती मूल खसरा की भूमि होने से उसे राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी सं. 1 से 14 की तरफ से वकील श्री जोगराज पोटलिया द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज प्रस्तुत की गई। विप्रार्थी संख्या 15 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए।

उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 424/225 क्षेत्रफल 16.0182 ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 14 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 428/225 रकबा 16.1800 हैक्टयर ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी पटवार मण्डल कादानाडी भूमि आया हुआ है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 14 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

भानासर धतरवालों की ढाणी पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 424/225 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि जो अत्याधिक आवश्यकता का एकमात्र विकल्प होने से उसे राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे, आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते के संबंध में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने अथवा भूमि के बदले भूमि दिये जाने में भी सहमत है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण के द्वारा वर्तमान में अपने खसरा संख्या 428/525 ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी में रास्ता चाहा गया है, लेकिन प्रार्थीगण के सबसे नजदीक में खसरा संख्या 419/225 या 515/225, 518/225 है। कि प्रार्थीगण के द्वारा उनके नजदीक में रास्ता होने के उपरान्त भी उन खसरों से रास्ता लेने का कोई प्रयास नही किया गया है, उल्टा विप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने व उनका खेत खराब करने की नीयत से रास्ते का उक्त आवेदन पेश किया गया है। कि जहा पर प्रार्थीगण का खेत सड़क से सबसे नजदीक खसरे से जुड़ता है वही से रास्ता लेने का कानूनी प्रावधान है। जिसके लिये विकल्प विप्रार्थीगण के द्वारा बताये जा रहें है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली में प्रार्थीगण के खेत के नजदीक में खसरा संख्या 419/225 या 515/225, 518/225 है। जो सड़क से लगता है, प्रार्थीगण को रास्ता प्राप्त करने के लिये उक्त खसरो से रास्ते की दुरी के बारे में मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश प्रदान करावें। ताकि जंहा पर तुलनात्मक रुप से कम दुरी हो वहा से रास्ता दिया जाने का आदेश पारित हो सकें।

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपने कथनों में जाहिर किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी पूर्व में मूल खसरा संख्या 225 के सहखातेदार रहते हुए विभाजन के जरिये अलग–अलग कायम हुए है, मूल खेत खसरा संख्या कटाण मार्ग से जुड़ा हुआ है, परन्तु अब विभाजन के बाद प्रार्थी को आवागमन हेतु कटाण मार्ग तक रास्ता अनुपलब्ध है। ऐसी स्थिति में प्राप्त मौका रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम आदेश जारी किये जावे।

हमनें दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिर्पोट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा भानासर धतरवालों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 424/225 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए खेत खसरा संख्या 428/225 में रास्ता चाहा गया है, जिसके सन्दर्भ में तहसीलदार सिणधरी द्वारा भी खसरा संख्या 428/225 में रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की गई

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

है। विप्रार्थीगण की आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए जहां तक अधिनियम की मंशा के तहत प्रार्थी को रास्ते की नितान्तः आवश्यकता होने से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत है, परन्तु सलंग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण की दलील के खसरा संख्या 419/225, 515/225,518/225 के प्रस्तावित भूमि का रकबे व प्राप्त रिपोर्ट के रकबे में काफी अन्तर आ रहा है तथा खसरा संख्या 428/225 की तुलना में खसरा सं. 419/225, 515/225,518/225 की भूमि की लम्बाई भी अधिक है तथा खसरा संख्या 419/225, 515/225,518/225 के खातेदारान को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। प्रथम दृष्टया खसरा संख्या 428/225 की प्रस्तावित भूमि का रकबा कम होने से तथा खसरा संख्या 424/225 व 428/225 मूल खसरा संख्या 225 के ही भाग है। ऐसी स्थिति में जब मूल खसरा संख्या 225 सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ होने के साथ ही खसरा संख्या 428/225 की भूमि तुलनात्मक रूप से कम दूरी की होने से में रास्ता बरंग हरा– कलर से प्रस्तावित भू–भाग की भूमि को रास्ते के रूप में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिसकी ताईद प्रार्थी स्वयं द्वारा अपनी बहस के तथ्यों में की है। चूंकि समस्त पक्षकारान एक ही वर्ण वर्ग से होने से भूमि के बदले भूमि का निर्धारण किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 424/225 के खातेदारान के आवागमन हेतु रास्ते के रूप में खसरा संख्या 428/225 में से प्रस्तावित भूमि के अनुरूप लम्बाई 260 मीटर चौड़ाई 6 मीटर मार्ग भूमि के परिमाप की गणना अनुसार सकल रकबा 0.1560 हैक्टर खसरा संख्या 424/225 (सलंग्न मौका जांच परिशिष्ट अनुसार बरंग बैंगनी) से कम करते हुए खसरा संख्या 428/225 के खातेदारान को उसके खेत के लगती हुई सीमा पर खातेदारी में अमल दरामद के साथ मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा ——दरसाये परिक्षेत्र अनुसार रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ./वाद/2025/3300 दिनांक 09.12.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 05.02.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी